

13.12.2017

न्यायालय रिक्त होने से प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत।

आवेदक रामनाथ द्वारा श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता उप0।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप0।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1171/15 ई.फौ. राज्य बनाम रामनाथ सिंह एवं अन्य का मूल अभिलेख प्राप्त।

आवेदक रामनाथ आवेदन के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 के साथ आवेदक रामनाथ के भाई भागीरथ के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह व्यक्त किया गया है कि यह आवेदक रामनाथ का प्रथम नियमित जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति के अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। ऐसा ही अभिलेख से भी स्पष्ट है।

आवेदकगण के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसके द्वारा फरियादिया सुमन के साथ घटित घटना के अनुसार ही साक्ष्य दी गई है, आवेदक ने कोई मिथ्या साक्ष्य नहीं दी है। आवेदक सीधा साधा संभ्रान्त व्यक्ति होकर अपने घर में अकेला खेती करने वाला व्यक्ति है वर्तमान में गेहूं की बुवाई का कार्य चल रहा है, यदि आवेदक अधिक दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा तो आवेदक के परिवार वाले भूखों मर जावेगे। वह दिनांक 06.12.17 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उक्त आधारों पर दोनों जमानत आवेदन पत्र स्वीकार कर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से जमानत आवेदनपत्र का घोर विरोध किया गया है और जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 01.12.15 को सत्र प्रकरण क्रमांक 325/14 उनवान राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद बनाम मुकेश एवं अन्य में निर्णय घोषित किया गया था, जिसमें अभियुक्तगण को धारा-498ए, 307 भा0दं0सं0 एवं धारा-04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषसिद्ध करते हुए क्रमशः एक वर्ष, पांच वर्ष, एक वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया था परंतु उक्त निर्णय में पैरा-33 में यह निष्कर्ष दिया गया है कि सुमन अ0सा0-05 पर जान बूझकर असत्य कथन देना परिलक्षित होता है। पैरा-47 में यह निष्कर्ष दिया है कि रिपोर्ट कर्ता रामनाथ अ0सा0-01 तथा साक्षी सूरजभान सिंह अ0सा0-02 के द्वारा मुख्यपरीक्षण, प्रतिपरीक्षण और पुनः परीक्षण में जिस तरह से अभिसाक्ष्य दी गई है उससे उनके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना प्रकट होता है। इस कारण से धारा-340 एवं 195 दं0प्र0सं0 के तहत इन तीनों

को अभियोजित किए जाने हेतु परिवाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में प्रेषित किया है।

अभियोजन के अनुसार आवेदक पर मिथ्या साक्ष्य देने या मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का आक्षेप है। आवेदक के द्वारा न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य दी गई है। परंतु आवेदक रामनाथ की आयु 57 वर्ष बताई गई है। दिनांक 06.12.17 को उसका जमानत आवेदन न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा निरस्त किया गया है वह लगभग आठ दिवस से निरोध में है। अतः मामले की संपूर्ण परिस्थितियों एवं तथ्यों को देखते हुए आवेदक रामनाथ को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उसका जमानत आवेदन स्वीकार किया गया।

अतः आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त रामनाथ की ओर से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद की संतुष्टि योग्य 20,000/-रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत किया जावे तो उसे निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जावे:-

1. आवेदक विचारण न्यायालय में दी गई नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा।
2. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा और न ही साक्षियों को कोई प्रलोभन उत्प्रेरण या धमकी देगा।
3. फरार नहीं होगा।
4. विचारण में सहयोग करेगा।
5. विचारण के दौरान आवेदक समान अपराध कारित नहीं करेगा।

यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है कि तो यह जमानत आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

आदेश की प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर पालनार्थ भेजी जावे।

केसडायरी आदेश की प्रति के साथ वापस हो।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर प्रपत्र अभिलेखागार में भेजे जावें।

(मोहम्मद अजहर)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड

सामान्य ज.
(शासकीय / विधिक)